न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण 75/2010

1. मोडूलाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बालापुरा तह0 मांगरोल
2. गिरधर गोपाल आत्मज मथुरालाल जाति मीणा निवासीगण, बालापुरा तह0 मांगरोल

.......प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. रामनिवास आत्मज देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री भंवर सिंह गौड

वकील अप्रार्थी : श्री अजित कुमार जैन

दायरा दिनांकः 14.12.2010 निर्णय दिनांक : 21.06.2018

पत्रावली श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय कोटा से उनके निर्णय दिनांक 03.11.2010 के अनुसार इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई थी रेस्पोडेन्ट कम संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निर्णय करने की प्रकिया में प्रभावित खातेदारों को सुनवाई का पूनः अवसर प्रदान कर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने की स्थिति में विधिवत पक्षकार बनाया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 14.12.2010 को दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की काश्त शुदा आराजी ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल में स्थित है, जिसका पुराना खाता संख्या 30 कुल रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा है, जिसका नया खाता संख्या 142 कुल रकबा 4.02 है0 है। पुराना खाता संख्या 30 की खसरा नं0 साबिक 216 की 2 बीघा 16 बिस्वा थी, जो वर्तमान सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत अंकन करते हुये पुराना साबिक खसरा नं0 216 की 2 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नं0 374 रकबा 0.31 है0 दर्ज कर दिया इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी के उक्त रकबे पर 0.17 है0 भूमि कम दर्ज कर दी जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाकर हाल खसरा नं0 374 का रकबा 0.48 है0 करवा कर 2 बीघा 16 बिस्वा दर्ज करवाने का अधिकारी नथा नालिशी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का हाल खसरा नं0 374 का रकबा 0.31 है0 के स्थान पर दुरूस्त कर पुराने साबिक खसरा नं0 216 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा 0.48 है0 वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

[illegible] प्राप्त होने पर दिनांक 14.12.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो [illegible] राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू0अ0/2018/ [illegible] से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि खसरा [illegible] रकबा 0.72 दर्ज करने हेतु माननीय अति0 सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा के यहां से पत्रावली [illegible] की गई है। चूकि ग्राम बालापुरा का खसरा नं0 387 रकबा 0.72 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल पुराने खसरा नं0 296 रकबा 4 बीघा 1 से बनाया गया है गत रकबे की तुलना में वर्तमान खसरा नं0 387 का रकबा 0.65 है0 ही दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि सेटलमेंट विभाग ने रकबा 0.72 है0 दर्ज किया है खसरा नं0 387 में 0.07 है0 भूमि अधिक दर्ज की गई है। जिसको खसरा नं0 374 का रकबा 0.37 है0 में दर्ज है। खसरा नं0 387 में से 0.07 है0 खसरा नं0 374 के रकबे 0.37 है0 में मिलाकर खसरा नं0 374 का रकबा 0.44 है0 किया गया जो सही है। अतः प्रार्थी मोडूलाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी हाल खसरा नं0 374 का रकबा 0.31 है0 के स्थान पर दुरूस्त कर पुराने साबिक खसरा नं0 216 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा 0.48 है0 वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की ग्राम बालापुरा का खसरा नं0 387 रकबा 0.72 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल पुराने खसरा नं0 296 रकबा 4 बीघा 1 से बनाया गया है गत रकबे की तुलना में वर्तमान खसरा नं0 387 का रकबा 0.65 है0 ही दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि सेटलमेंट विभाग ने रकबा 0.72 है0 दर्ज किया है खसरा नं0 387 में 0.07 है0 भूमि अधिक दर्ज की गई है। जिसको खसरा नं0 374 का रकबा 0.37 है0 में दर्ज है। खसरा नं0 387 में से 0.07 है0 खसरा नं0 374 के रकबे 0.37 है0 में मिलाकर खसरा नं0 374 का रकबा 0.44 है0 किया गया जो सही है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकारने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बमोरीकलां मजमेंआम में सुनाया गया।